

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संस्कृत एक अमूल्य कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य परामर्शकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर कोई पूरा नै पत्र अक्षर हुआ हो तो पर अक्षर एवं लिपिक अक्षर लिख जावे विलम्बे उपरिक्त हो।



उपनाम : सुजीवसिंह
दूरभाष : (0751) 2241006
(0751) 2442022
फैक्स : (0751) 2341760

प्रेषक : कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
क्रमांक: 2/फ/सम्बद्धता/2012/ 6054

दिनांक: 13/02/13

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध सोफिया नर्सिंग, महाविद्यालय, ग्वालियर (0751-2232368) को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित संवर्धित बी.एस.-सी. (नर्सिंग), पाठ्यक्रम कक्षा पाठ्यक्रमों विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति गणेशचन्द्रावामी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचिपत्र 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, कुलाधिपति, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
- (2) डॉ. ज्योति मोहने, आचार्य, जी.आर.एम.सी., ग्वालियर।
- (3) डॉ. सुखदा शर्मा, प्राचार्य, वी.आई.एम.आर. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- (4) डॉ. के.एस. गुर्जर, उपाचार्य, भारतीय शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के उद्देश्यों से अनुरोध है कि वे परिचिपत्र 27/28 के प्रावधानों के अनुसार महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक केंद्रों, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति-अज्ञापन प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/अभिनियम तथा पिछले 30 मं दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/सौभाग्य एवं अशैक्षणिक श्रेणियों की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्वाधीन समिति को बैंक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के घट क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वारा 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं बधा उगाय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्हकता जमा कराकर नवीन समिति गठित की जावेगी। जितने 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिचिपत्र 27(11)(1) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की परसूचिपत्र से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

(Signature)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संवर्धित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर करने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(Signature)
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)